

II/निगरानी/2018/0886

(330)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ब्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.



Rs. 30/-

हीरालाल सिंह तनय स्व. युवराज सिंह उम्र 57 वर्ष निवासी ग्राम मबई थाना तह.
चुरहट जिला सीधी म.प्र.

.....निगरानीकर्ता

बनाम्

- 1— तेजबहादुर सिंह उम्र 50 वर्ष तनय स्व. वासुदेव सिंह गहरवार पेशा कृषि
- 2— गिरीश सिंह उम्र 45 वर्ष तनय स्व. वासुदेव सिंह पेशा कृषि
- 3— विनोद सिंह उम्र 42 वर्ष तनय स्व. वासुदेव सिंह पेशा कृषि
- 4— प्रमोद सिंह उम्र 32 वर्ष तनय स्व. वासुदेव सिंह पेशा कृषि

निवासी ग्राम मबई थाना व तहसील चुरहट जिला सीधी म.प्र.

- 5— हरिहर सिंह उम्र 61 वर्ष तनय स्व. विष्णुप्रताप सिंह पेशा सेवानिवृत्त आरक्षक
- 6— लालबहादुर सिंह उम्र 54 वर्ष तनय स्व. विष्णु प्रताप सिंह पेशा नौकरी
- 7— हंशराज सिंह उम्र 50 वर्ष तनय स्व. विष्णुप्रताप सिंह पेशा नौकरी
- 8— बाबूलाल सिंह उम्र 60 वर्ष तनय स्व. रामपाल सिंह पेशा सेवानिवृत्त सैनिक
- 9— अंतर सिंह उम्र 40 वर्ष तनय स्व. रामपाल सिंह पेशा कृषि
- 10— बहादुर सिंह उम्र 33 वर्ष तनय स्व. रामपाल सिंह पेशा कृषि
- 11— सजन सिंह उम्र 30 वर्ष तनय स्व. रामपाल सिंह पेशा कृषि
- 12— पुष्पराज सिंह उम्र 25 वर्ष तनय स्व. रामपाल सिंह पेशा कृषि
- 13— श्रीमती बिट्टन उम्र 60 वर्ष तनय पुत्री स्व. विष्णुप्रताप सिंह पेशा गृहकार्य
- 14— श्रीमती शिवा उम्र 55 वर्ष पुत्री स्व. विष्णुप्रताप सिंह पेशा गृहकार्य
- 15— श्रीमती बूटी उम्र 65 वर्ष पुत्री स्व. विष्णुप्रताप सिंह पेशा गृहकार्य

अधिकृती प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति
द्वारा केता 15-02-18
मुख्यमन्त्री के द्वारा दिया गया

.....गैरनिगरानीकर्तागण

यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर
सीधी के राजस्व प्रकरण क.
57/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश
दिनांक 28.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की
जा रही है
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959 ई.

.....2

II/1970/समिति - ८

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुबृति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II/ग्रा./18/०४४६ जिला- झीमी

330

हायलाल सहित विरुद्ध तेज बहाइट लिट वाँगी

(1)	(2)	(3)
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री फरीस पाठेप अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी क्लैक्सर/ अपर कलेक्टर, जिला झीमी के प्रकरण क्रमांक 57/ग्रा./2011-12 में पारित आदेश दिनांक 28-9-17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। मोप्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 7-3-19 को कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">✓</p> <p>सदस्य</p> <p><i>[Signature]</i></p>	